PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

**Navbharat Times, Delhi**

**Wednesday, 10th November 2010, Page: 18**

**Width: 14.27 cms Height: 10.58 cms, Ref: pmin.2010-11-10.44.59**

# मरीजों को महंगी दवाएं देना अब पड़ेगा महंगा

59-18

सुरेश उपाध्याय ॥ नई दिल्ली

सरकार ऐसे डॉक्टरों पर लगाम लगाने की कवायद में जुट गई है, जो खासी महंगी और अनावश्यक दवाएं लिखते हैं। इसके लिए वह सरकारी अस्पतालों में 'प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट' योजना शुरू करना चाहती है। इसे बाद में प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस साल सितंबर में हरियाणा के मानेसर में स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व और 45 हेल्थ एक्सपर्ट्स की बैठक में, कई डॉक्टरों द्वारा अंधाधुंध तरीके से एंटीबायोटिक और अन्य महंगी दवाएं लिखने पर गहरी चिंता का इजहार किया गया था। बैठक में सुपरबग न्यू डेल्ही मेटालो-1 के कारण पैदा हालात पर विचार करने के साथ ही दवाओं के इस्तेमाल पर ठोस नीति बनाने की जरूरत महसूस की गई थी।

डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने वाले प्रेस्क्रिप्शन का ऑडिट कराने के मूड में है सरकार।

इस बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के लिए कड़ी नीति बनाने के साथ ही दवाओं के नाम पर मरीजों को लूटने के सिलसिले को रोकने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। यदि उसकी योजना परवान चढ़ी तो ड्रग इंस्पेक्टर और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं की पड़ताल कर सकेंगे।

सूत्रों का कहना है कि सरकार न सिर्फ अंधाधुंध तरीके से दवाएं देने पर रोक लगाना चाहती है, बल्कि यह भी चाहती है कि डॉक्टर सस्ती जेनरिक दवाएं लिखें। इस मकसद से वह पूरे देश के अस्पतालों में औषधि नियंत्रण समितियों के गठन का इरादा भी रखती है। शुरुआती दौर में इसे भी पहले सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा और फिर देश के निजी अस्पतालों को इसके दायरे में ले लिया जाएगा।

JS(PG) 10/11/10

11/11

MW

Ass. Govt.